कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 348/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 27.09.2025

थाना- रौनापार, जनपद- आजमगढ़

➡ **थाना रौनापार पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 13 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त घायल/गिरफ्तार-**

➡ **थाना रौनापार क्षेत्रान्तर्गत रामजानकी मंदिर जोकहरा पुलिया के पास थाना रौनापार पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त को लगी गोली।**

➡ **घायल अभियुक्त छोटू पुत्र लौटन सा0 रेलवे स्टेशन आजमगढ़ थाना सिधारी आजमगढ़ गम्भीर हालत में ईलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया।**

➡ **अभियुक्त छोटू पुत्र लौटन के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद-**

कल दिनांक- 26.09.2025 की 17.00 बजे शाम वादिनी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई की वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ आज गांव के खेत मे बकरी चराते समय एक व्यक्ति द्वारा छेड़खानी करते हुए गाल व पीठ पर दात से काटा गया जो शोर मचाने पर भाग गया। लोगों द्वारा उसका नाम छोटू बताया जा रहा है। जिसके आधार पर प्रकरण को पुलिस द्वारा संज्ञान में लेकर तत्काल थाना रौनापार पर **मु0अ0सं0 364/25 धारा 74,118(1) बीएनएस 7/8 पाक्सो एक्ट** बनाम अभियुक्त छोटू के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए **श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार** द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर निर्देश दिया गया। गठित टीमों द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य संकलन, तकनीकी जानकारी के माध्यम से अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्रीमान् पुलिस उप-महानिरीक्षक आजमगढ़, परिक्षेत्र आजमगढ़ के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में **आज दिनांक 27.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री चिराग जैन व क्षेत्राधिकारी सगड़ी श्री अनिल कुमार वर्मा के पर्वेक्षण** में थानाध्यक्ष रौनापार पुलिस टीम द्वारा थाना रौनापार **क्षेत्रान्तर्गत रामजानकी मंदिर जोकहरा पुलिया के पास** थाना रौनापार पुलिस टीम पर अभियुक्त द्वारा फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई **मुठभेड़ में छेड़खानी के अभियोग से संबंधित अभियुक्त छोटू पुत्र लौटन निवासी रेलवे स्टेशन आजमगढ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को दाहिने पैर मे एक गोली लगी,** गम्भीर हालत में घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु जिला अस्पाताल ले जाया गया है।
घटना की विवेचना में फील्ड यूनिट द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है।
इसके अलावा इलेक्ट्रानिक एवं अन्य साक्ष्यों को संकलित कर गुणवत्तापूर्वक विवेचना सुनिश्चित की जायेगी व मा0 न्यायालय में त्वरित व प्रभावी पैरवी कर दोषी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

➡अभियुक्त के कब्जे से **01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर,** बरामद किया गया। जिसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.घायल अभियुक्त छोटू पुत्र लौटन निवासी रेलवे स्टेशन आजमगढ़ थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष रौनापार श्री मन्तोष सिंह, मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ ।

2.चौकी प्रभारी महुला श्री विवेक सिंह मय हमराह, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।